न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/245

प्रकरण संख्या 07/2022

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री तहसीलदार भीण्डर बनाम ग्राम पंचायत बड़गांव

ग्राम पंचायत बड़गॉव द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 14 दिनाक 06.01.2012 के विरूद्ध नामान्तरण अपील

निर्णय

दिनांक : **25.07.2022**

1. अपीलांट तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर द्वारा ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 06.01.2022 के विरूद्ध नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बड़गांव में नामान्तरण संख्या 14 निर्णित दिनांक 06.01.2022 द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख के आधार पर नामान्तरणकरण दर्ज कर निर्णीत ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा किया गया चूकिं नामान्तरण में त्रुटि होने से पूर्वोक्त नामान्तरण संख्या 14 को निरस्त फरमाने हेतु अपील की गई जिसमें तहसीलदार भीण्डर ने निवेदन किया है कि रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख से हक त्याग कर्ता श्रीमती बगदी पिता. स्व. रामा मेघवाल, नबू पिता स्व. रामा मेघवाल, रेखा पिता स्व. रामा मेघवाल द्वारा राजस्व ग्राम बड़गांव के खाता संख्या 309 के आराजी संख्या 3/2 , रकबा 8–15 बीघा में अपने हक हिस्से 3/14 में से 9/56 कुल आराजी का हक त्याग श्री उंकार पिता स्व. श्री रामा, श्री मोहन पिता स्व. श्री रामा, श्री वजेलाल पिता स्व. रामा के पक्ष में किया गया।

2. तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का बड़गांव द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग से नामान्तरणकरण दर्ज [illegible] हक [illegible] का सम्पूर्ण हिस्सा 3/14 का हक गृहिताओं के पक्ष में [illegible] जबकि हक त्याग विलेख अनुसार 9/56 का ही नामान्तरणकरण दर्ज [illegible] जिसके लिए पटवारी हल्का बड़गॉव द्वारा उक्त नामान्तरणकरण [illegible] का निवेदन किया गया लेकिन नियमों के अन्तर्गत रिव्यू की समयावधि गुजरने के कारण यह प्रार्थना पत्र ग्राम पचांयत बड़गॉव के निर्णय के विरूद्ध अपील की गई।

3. अतः तहसीलदार भीण्डर ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित हकत्याग कर्ताओं द्वारा शेष बचे हिस्से का हक त्याग अपने भाई सुरेश उर्फ सुरेश कुमार पिता स्व. रामा के पक्ष में किया गया है। यह हक त्याग विलेख बाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:12 IST
Reason: SelfAttested

पंजीबद्ध किया गया है चूंकि नामान्तरणकरण संख्या 14 निर्णित दिनांक 06.01.2022 द्वारा सम्पूर्ण हक को दर्ज कर देने से अक बाद वाले हक गृहिता के पक्ष नामान्तरणकरण दर्ज करने में बाधा आ रही है। अतः तहसीलदार ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा पारित नामान्तरणकरण सेख्या 14 दिनांक 06.01.2022 को निरस्त करने का आदेश फरमावे जिससे दोनो रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार नामान्तरणकरण की कार्यवाही की जा सके।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया रेस्पोडेन्ट को तलब किया जिसमें रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत बड़गांव ने भी प्रमाणित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरणकरण के निर्णय में त्रुटि से गलत दर्ज हो गया है जिसको दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई बहस एवं तर्को पर मनन किया गया। यह बात सही है कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत की गई अपील जिसमें रजिस्टर्ड हक त्याग द्वारा राजस्व ग्राम बड़गाव, पटवार मण्डल बड़गाव तहसील भीण्डर के खाता संख्या 309 श्रीमती बगदी पिता. स्व. रामा मेघवाल, नबू पिता स्व. रामा मेघवाल, रेखा पिता स्व. रामा मेघवाल द्वारा राजस्व ग्राम बड़गांव के खाता संख्या 309 के आराजी संख्या 3/2 , रकबा 8–15 बीघा में अपने हक हिस्से 3/14 में से 9/56 कुल आराजी का हक त्याग श्री उंकार पिता स्व. श्री रामा, श्री मोहन पिता स्व. श्री रामा, श्री वजेलाल पिता स्व. रामा के पक्ष में किया गया। जबकि राजस्व कार्मिक द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का हक त्याग कर दिया गया जो कि त्रुटि पूर्ण है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बड़गाव द्वारा निर्णित नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 06.01.2022 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बड़गाव पटवार मण्डल बड़गाव तहसील भीण्डर की खाता संख्या 309 के आराजी सेख्या 3/2 रकबा 8–15 बीघा का रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख के आधार पर पुनः नये सिरे से जॉच कर नामान्तरण की कार्यवाही करावे एवं दोषी कार्मिक पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।